न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शीधर योगी, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 89 / 2024 राजस्व वाद

अनवान

01– श्री दुर्गेश पुत्र जगदीशचन्द्र तिवाडी, उम्र 33 वर्ष, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)

––वादी

बनाम

1– श्री जगदीशचन्द्र पुत्र मांगीलाल जी तिवाडी, उम्र 55 वर्ष, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
2– श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र घीसुलाल महाजन, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
3– रसीक बाला पुत्री घीसुलाल महाजन, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
4– नयना पुत्री घीसुलाल महाजन, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
5– श्री कीरीट कुमार पुत्र घीसुलाल महाजन, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
6– श्रीमती कृष्णा पत्नी घीसुलाल महाजन, उम्र वयस्क, निवासी करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)
7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा, तहसील माण्ड़ल, जिला भीलवाड़ा (राज0)
8– उप पंजीयक महोदय उप पंजीयक कार्यालय करेड़ा, तहसील माण्ड़ल, जिला भीलवाड़ा (राज0)

––––प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश

उपस्थित :–

1– श्री सूरज सनाढ्य ––अधिवक्ता वादी
2– श्री मुकेश कुमार जैन ––अधिवक्ता प्र.सं. 2 से 6
3– स्वयं उपस्थित– ––प्रतिवादी संख्या 01
4– पेरोकार सरकार ––प्रतिवादी संख्या 7 व 8

:: निर्णय:: दिनांक–21.08.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम करेड़ा, पटवार हल्का करेड़ा प्रथम, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0) में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 373 में आराजी नम्बर 2124 रकबा 0.4173 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के पिता / पति घीसुलाल नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अंकन है, उपरोक्त आराजियात के साबिक आराजी संख्या 2032, 2034 व 2062 थे, उपरोक्त साबिक नम्बरो से मांगीलाल जी तिवाडी को 05 बीघा आराजियात आवंटित की गई, यह आंवटन तत्कालीन समय की जाने वाली उदघोषणा के तहत की गई, जिसमें कमवार प्रत्यैक व्यक्तियो को सुची बनाकर आवंटन की गई, आंवटन व सिपुदर्गी के पश्चात् वादी का आंवटी की सूची में 17 नम्बर व नक्शे में उपरोक्त आराजी के 17 नम्बर पर आवंटित की गई, इसी प्रकार से उपरोक्त आराजियात में अलग अलग व्यक्तियो को आराजियात आवंटन की गई थी, प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के पिता घीसुलाल पत्र गणेशलाल महाजन के नाम पर उपरोक्त आराजियात को अंकित की गई, वह घीसुलाल पुत्र गणेशलाल महाजन

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर करेड़ा

आवंटन की अंतिम सूची में 10 नम्बर पर आवंटी था और इनके पास ही 09 नम्बर पर मिठुलाल पुत्र चौबीलाल ब्राह्मण को उपरोक्त आराजियात आवंटित की गई थी, लेकिन तत्कालीन समय राजस्व कर्मचारियो ने त्रुटि करते हुये मिठुलाल पुत्र डालचन्द जिसको की आवंटी की सूची में 16 नम्बर पर आराजियात आवंटित की गई थी, समान नाम होने से राजस्व कर्मचारियो ने घीसुलाल जिसको की 10 नम्बर की जगह पर आराजियात का आवंटन होना चाहिये था, उसको 10 व 16 नम्बर पर भी आंवटित करते हुये मिठुलाल पुत्र डालचन्द के सटमा त्रुटि पूर्वक अंकन कर दिया, जबकि उपरोक्त 17 नम्बर पर मांगीलाल तिवाडी का नाम बदस्तुर चला आ रहा था, उपरोक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 06 के पति/पिता के नाम पर रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा जो कि वर्तमान हैक्टेयर अनुसार 0.4173 हैक्टेयर है, जिसका की वादी वसीयती उत्तराधिकारी होने से खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी होने से आराजी संख्या 2124 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के पति/पिता घीसुलाल के नाम पर दर्ज है, का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी को वादी के नाम पर खातेदार हक से दर्ज कर घीसुलाल का नाम उक्त आराजियात से इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है, का अनुतोष चाहा है, जिस बाबत् प्रतिवादीगण को वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर तलब किया गया।

सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर वाद के तथ्यो को स्वीकार कर सहमति दी गयी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 की ओर से अधिवक्ता ने स्वीकृत जवाब प्रस्तुत किया, साथ ही वादपत्र में प्रथम सुनवाई के निर्णय के लिये वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 15 नियम 01 सिविल प्रकिया संहिता का आवेदन मय स्वीकृत जवाबदावा शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया, मामले में स्वीकृत जवाबदावा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र को अक्षर से स्वीकार किया है वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वादपत्र को स्वीकार कर डिकी जारी करने की प्रार्थना की है।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व साथ ही उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्को दस्तावेजो, जवाबदावे व प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर वादपत्र की प्रथम सुनवाई में ही प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र की स्वीकारोक्त के आधार पर प्रतीत होता है कि विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर पक्षकारो में विवाद नही है एवं प्रतिवादीगण के नाम पर वादी की भूमि सेहवन से भूमि दर्ज हो जाने से वादी की भूमि वादी के नाम दर्ज की जाना न्याय संगत है। इसलिये न्यायालय द्वारा आदेश 15 नियम 01 की व्यवस्था के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर ग्राम करेड़ा, पटवार हल्का करेड़ा प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0) में राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 373 में आराजी नम्बर 2124 रकबा 0.4173 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के पिता/पति घीसुलाल पुत्र श्री गणेश लाल महाजन नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अंकन है, जिनका नाम विलोपित करा, उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी को वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज की जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक .कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)